

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर
वर्ष 2026-27 की अवधि के लिये ट्रान्सपोर्टेशन हेतु बिड

मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2026-27 की अवधि (अनुबंध तिथि से 31.03.2027 तक) के लिए मुद्रित सामग्री के बंडलो को राज्य के विभिन्न स्थानों पर ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से भिजवाने हेतु रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स से सीलबंद टू बिड पद्धति से बिड्स दिनांक 11.2.2026 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। बिड दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी निविदा प्रपत्र परिशिष्ट "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय निविदा प्रपत्र परिशिष्ट "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी।

तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड मोहरबन्द लिफाफे में अलग-अलग भेजी जानी चाहिये जिसमें तकनीकी बिड के लिफाफे में बोली प्रतिभूति राशि एवं अन्य सूचना का विवरण तथा वित्तीय बिड के लिफाफे में बिड की दरें व अन्य विवरण अंकित होंगे। वित्तीय बिड में अंकित दरों में हम्माली, चुंगी, सरचार्ज आदि की दरें भी अलग से अंकित करनी होगी। पोली पैक बंडल पैकिंग की दर मय सिलाई की दर भी देनी होगी। मुद्रित सामग्री के बंडल मुद्रणालय अथवा निर्दिष्ट स्थान से उठाना होगा। ट्रान्सपोर्ट कं० तक ले जाने के किराये की दर अलग से अंकित करनी होगी। बंडलों को राज्य के विभिन्न स्थानों पर एफ.ओ.आर. भिजवाने की दरें भी देनी होगी। मुद्रणालय से सामग्री उठाते समय ही दो प्रतियों में बिल्टी मुद्रणालय को देनी होगी। बिल्टी में अंकित सामग्री सुरक्षित रूप से सम्बंधित स्थान पर अधिकतम पांच दिवस में पहुंचानी होगी। सामग्री पहुंच की प्राप्ति रसीद मुद्रणालय को देनी होगी। बिल्टी में अंकित सामग्री को सुरक्षित रूप में निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचाने अथवा रास्ते में गुम हो जाने या किसी दुर्घटना में खराब हो जाने आदि की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता फर्म की होगी तथा सामग्री की समस्त राशि बोलीदाता फर्म से वसूल करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा। बिल्टी में अंकित सामग्री को वर्षा, आग एवं अन्य घटनाओं से बचाव करना होगा। सामग्री भीग जाने या किसी भी तरह से खराब हो जाने पर समस्त सामग्री की राशि अनुमोदित बोलीदाता से वसूल की जावेगी। वित्तीय बिड में दरें राज्य के सभी जिलों/तहसीलों की अलग-अलग देनी होगी। मुद्रित सामग्री के एक बंडल का वजन लगभग 40 किलो तक होगा।

प्रथम लिफाफे पर वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए ट्रान्सपोर्टेशन हेतु "तकनीकी बिड" तथा द्वितीय लिफाफे पर वर्ष 2026-27 की अवधि में ट्रान्सपोर्टेशन हेतु "वित्तीय बिड" लिखा होना चाहिए। बिड निर्धारित बिड प्रपत्र में भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे में सीलबंद कर उचित रूप से "ट्रान्सपोर्टेशन हेतु बिड" लिखा जाकर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तकनीकी बिड में सफल निविदादाता का ही द्वितीय बिड का लिफाफा "वित्तीय बिड" को खोला जायेगा। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय में रु. 500/- नकद/डी.डी. भेजकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर

कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त बिड्स में तकनीकी बिड के लिफाफों को दिनांक 12.2.2026 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। **बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/नकद/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी।** राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि **मुद्रणालय में उक्त वर्णित तरीको से किसी एक द्वारा** मुद्रणालय के पक्ष में जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सामग्री के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा। अन्य कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उक्त संबंध में संस्था के फोन 0141-2751417 एवं ई-मेल : raj_coop_press@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2027 तक होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : बिड प्रपत्र एवं शर्तें

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2026-27 की अवधि के लिये ट्रांसपोर्टेशन हेतु बिड प्रपत्र प्रथम "तकनीकी बिड"

1. बिड प्रपत्र मूल्य 500.00/- (Non Refundable)
2. बिड प्राप्ति की दिनांक 11.2.2026 को सायं 5.00 बजे तक
3. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 12.2.2026 को दोपहर 11.00 बजे
4. बिड का अनुमानित मूल्य 9.00 लाख रुपये

(सभी कॉलम की पूर्ति करना अपेक्षित है)

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....
.....
बोलीदाता फर्म का कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता
.....
फोन नं.ई-मेलमोबाइल नं.

1. बिड प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत 9.00 लाख रू० का 2% (18 हजार रू०)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण
2 (i)	बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ है। इस प्रकार की ईकाई बिड सूचना में बताई गई अनुबन्ध राशि का आधा प्रतिशत 4.5 हजार रू० मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है।	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण
(ii)	उद्योग विभाग से जारी लघु उद्योग इकाई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या एव दिनांक	
3	बोलीदाता के पैन पंजीकरण एवं कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के आई.टी.आर. की प्रति संलग्न है।	पैन नं.
4	जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।) एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. रिटर्न की सनदीलेखाकार (CA) द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।	जी.एस.टी. नं.
5	उपलब्ध वाहनों का विवरण (रजिस्ट्रेशन/बीमा/नवीनीकरण)	
6	विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में से किसी एक वर्ष में ट्रांसपोर्टेशन कार्य को संतोष जनक रूप से पूर्ण करने के प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	
7	विगत 3 माह (नवम्बर, 25-जनवरी, 26) का बैंक स्टेटमेंट	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या दिनांक के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यावसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
- (3) यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये है।
- (5) यह कि मैं/हम किसी भी राज्य सरकार द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किये गये है।
- (6) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
- (7) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

मो०न०.....

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017
फोन नं. 0141-2751417, 2751352

वर्ष 2026-27 की अवधि के लिये ट्रांसपोर्टेशन हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय "वित्तीय बिड"

1. बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता.....
.....
.....

2. मुद्रणालय की मुद्रित सामग्री के बंडलों को राज्य के जिलों/तहसीलों एवं पं०स० में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भिजवाने हेतु हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बिड दरे निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

अनुमानित राशि 9.00 लाख रूपये (नौ लाख रूपये) बोली प्रतिभूति राशि 0.18 लाख रूपये (अठारह हजार रूपये)

क्र.	नाम जिला/तहसील	दर प्रति बण्डल (प्रति बण्डल 40 किलो तक)	
		अंको में	शब्दों में
1.	राज्य के विभिन्न जिलों/तहसीलों एवं पं०स० में स्थित कार्यालयों में मुद्रित सामग्री भेजने (एफ.ओ.आर.) की अलग-अलग दरें प्रस्तुत है।		
2.	पॉली पैक बंडल मेकिंग मय सिलाई		

- निविदा प्रपत्र के साथ बिड एवं संविदा की जो शर्तें संलग्न है, हमें स्वीकार है।
- राशि का अंकन अंको एवं शब्दों में सुस्पष्ट अंकित किया जावे।
- सेवाकर नियमानुसार देय होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

क्र.	जिले का नाम	प्रति बंडल चार्जेज (40 कि.ग्रा. तक)		डोर डिलीवरी चार्जेज
		मुख्यालय	पंसो समिति / तहसील	
1.	अजमेर			
2.	भीलवाडा			
3.	चित्तोडगढ			
4.	राजसंमद / कांकरोली			
5.	उदयपुर			
6.	डूंगरपुर			
7.	बांसवाडा / प्रतापगढ			
8.	जालौर			
9.	सिरोही			
10.	जोधपुर			
11.	पाली			
12.	बाडमेर			
13.	जैसलमेर			
14.	नागौर			
15.	सीकर			
16.	चूरु			
17.	बीकानेर			
18.	झुन्झुनू			
19.	हनुमानगढ			
20.	श्रीगंगानगर			
21.	अलवर			
22.	भरतपुर			
23.	दौसा			
24.	सवाईमाधोपुर			
25.	करोली			
26.	धौलपुर			
27.	टोंक			
28.	बून्दी			

क्र.	जिले का नाम	प्रति बंडल चार्जेज (40 कि.ग्रा. तक)		डोर डिलीवरी चार्जेज
		मुख्यालय	पं०स० समिति/तहसील	
29.	कोटा			
30.	बांरा			
31.	झालावाड			
32.	जयपुर जिले की तहसीलो/ पंचायत समिति मुख्यालयों पर			

1	सरचार्ज	—	
2	बिल्टीचार्ज	—	
3	कार्टेज	—	
4	लोडिंग चार्जेज	—	
5	सर्विस टेक्स	—	
6	कोरोगेटेड बॉक्स 5 m/m ply	—	19" X 13 ¹ / ₂ " X 10"
7	कोरोगेटेड बॉक्स 5 m/m ply	—	21 " X 10" X 9"
8	कोरोगेटेड बॉक्स 5 m/m ply	—	18" X 12 X 6 ³ / ₄ "

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

ट्रान्सपोर्टेशन हेतु बिड्स एवं संविदा की शर्तें

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय बिड प्रपत्र एवं इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

- वर्ष 2026-27 की अवधि के लिये मुद्रित सामग्री के बंडलो को राज्य के जिलों/तहसीलों पर ट्रान्सपोर्टर्स के माध्यम से भिजवाने हेतु ट्रान्सपोर्टर्स से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी/वित्तीय) दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त दिनांक 11.2.2026 को सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी।
- बिड प्रपत्र "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी।
- सर्वप्रथम तकनीकी बिड को दिनांक 12.2.2026 को प्रातः 11.00 बजे खोला जावेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
- विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- बिड केवल उन्हीं फर्मों/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये, जो वास्तव में रजिस्टर्ड ट्रान्सपोर्टर हो, जिसके लिए बिड प्रस्तुत की जा रही है।
- फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।
- बोलीदाता को अपने कार्यालय का पूर्ण पता अंकित करना होगा। जहां पर निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी अंकित किया जावे, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
- बिड देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल वितरण करने के लिए बाध्य होगी।
- बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराइटिंग नहीं की जानी चाहिए।
- बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिए।
- तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत या लघु उद्योग इकाई के मामले में आधा प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/नकद/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा "राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर" के पक्ष में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन किया जावेगा।*

11. पूर्व में मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति/सिक्कूरिटी राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
12. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार निविदा राशि की 5 प्रतिशत सिक्कूरिटी के रूप में सिक्कूरिटी राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार 1 प्रतिशत सिक्कूरिटी के रूप में सिक्कूरिटी राशि जमा करानी होगी। एफ.डी.आर.के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाली कार्य सम्पादन प्रतिभूति बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी। बोली लगाने वाला बैंक की ओर उपापन संस्था को सम्बन्धित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देगा। संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्कूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्कूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह निविदादाता को वहन करना पड़ेगा। कार्यकर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।
13. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
14. यदि अनुमोदित वितरक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार सामग्री का ट्रान्सपोर्ट करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति निविदादाता फर्म से की जावेगी।
मुद्रणालय अनुमोदित फर्म के लिए ट्रान्सपोर्ट नहीं किये गये या आंशिक ट्रॉसपोर्ट या ट्रॉसपोर्ट किये गये सामान की शिकायत होने कि स्थिति में लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित वितरक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित वितरक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था करने में मुद्रणालय द्वारा अधिक व्यय वहन करना पड़ेगा, वह उसकी सिक्कूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा। यदि ऐसी राशि सिक्कूरिटी राशि से अधिक हो तो उसे राजस्व बकाया की भांति वसूल किया जावेगा।
15. 1. सामग्री/माल का ट्रान्सपोट निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भाला जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं अन्य किसी कारण से खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पड़ेगा।
2. किराये का भुगतान बिल प्राप्त के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
3. बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष बिड स्वीकृत करने के लिए किये गये प्रयास को अयोग्यता माना जावेगा।

16. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करें। न्यूनतम दरदाता से वार्ता करने का नियमानुसार उपापन संस्था को पूर्ण अधिकार होगा। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके बिना कारण बतलाये रद्द कर सकता है।
17. मुद्रणालय द्वारा आवश्यक समझे जाने पर स्वीकृत न्यूनतम दरों पर सहमत होने पर अन्य सफल निविदादाताओं को भी सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
18. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. रिटर्न की सनदीलेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रति सलग्न करना आवश्यक होगा।
19. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी:—
- | | |
|---|------|
| (क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए; | 2.5% |
| (ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए; | 5% |
| (ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए; | 7.5% |
| (घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए; | 10% |
20. फर्म को पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप निम्नानुसार है:—

एस.आर प्रारूप — 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

21. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
22. प्रस्तुत दरो में सेवाकर अतिरिक्त होगा।
23. निविदा के संबंध में उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम

अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।

24. बिड्स अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से 31.03.2027 तक मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा, एवं मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
25. अनुबंधकर्ता बिडर को आयकर/सेवा कर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
26. दरों में शब्दों एवं अंकों में अंतर होने पर शब्दों वाली दर सही मानी जावेगी।
27. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।
28. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित अन्य शर्तें एवं नियम भी लागू होंगे।
29. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
30. बोलीदाता या बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को समस्त बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में उनके पक्ष में बोलीदाता द्वारा जारी अधिकृत पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
31. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।
32. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं अन्य सभी संगत विधिक प्रावधान लागू होंगे।
33. राज्य सरकार द्वारा गठित नये जिलों के लिए सामग्री भिजवाने पर जिस जिले से विभाजित कर नया जिला बनाया गया है, उस जिले के लिए स्वीकृत दर के अनुसार भुगतान देय होगा।

प्रबन्ध निदेशक

मैंने/हमने उक्त बिड शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ली हैं तथा मैं/हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य है/होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर